Online - Disposed

अनुसूचि 14 फारम 462 (देखे अभिलेख हस्तक 194 'क' का नियम 129)

ता0.......................आदेश पत्रक संख्या.......................

केश का प्रकार 151/2015-16

समाप्त

जिला खूँटी सत्र.................... सं0....................

क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
19/10/16	आर्यावर्त ग्रामीण बैंक मुरहू शाखा की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दाखिल किये हैं कि निलाम देनदार श्री स्व- दारिश्या महतो पिता श्री देवीदयाल महतो ग्राम ओड़ोकेल पो0 मुरहू थाना मुरहू के विरुद्ध उपान्त में लिखित बैंक ऋण बाकी है उनके विरुद्ध निलाम पत्र वाद दायर कर वसूली किया जाय। बैंक की ओर से कोर्ट की राशि का स्टाम्प ....रु0 का दायर किया गया है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपर्युक्त तथ्य से मैं सहमत हूँ । निलाम देनदार धारा 7 पी0डी0आर0 एक्ट के अन्तर्गत नोटिस निर्गत करें तथा अभिलेख दिनांक 19/11/16 को प्रस्तुत करें। लेखापित एवं सत्यापित निलाम पत्र पदाधिकारी खूँटी । निलाम पत्र पदाधिकारी खूँटी ।	मूल + सूद 29958=00 c/fee - 3080=00 P. fee - 25=00 कुल - 32563=00
19/11/16	नोटिस तामिला अप्राप्त। दिनांक 19/12/16 को रखें।	
19/12/16	निलाम पदा0 नोटिस तामिला अप्राप्त। दिनांक 19/1/16 को रखें।	

19/1/16 नोटिस तामिला द्वारा लेखा अनुपस्थित। दिनांक 19/2/16 को रखें

19/2/16 केस दा अनुपस्थित। दिनांक 19/3/16 को रखें।

19/3/16 केस दा अनुपस्थित। दिनांक 18/4/16 को रखें।

18/4/16 केस दा अनुपस्थित। दिनांक 18/5/16 को रखें। WMA निष्पादित करें।

03/05/16 03/05/16 को रखें।

3/5/16

5/1/17 केस दा अनुपस्थित। दिनांक 5/2/17 को रखें।

5/2/17 केस दा अनुपस्थित। दिनांक 5/3/17 को रखें।

5/3/17 केस दा अनुपस्थित। दिनांक 5/4/17 को रखें।

5/4/17 केस दा अनुपस्थित। दिनांक 5/5/17 को रखें।

5/5/17 केस दा अनुपस्थित। दिनांक 5/6/17 को रखें।

5/6/17 केस दा अनुपस्थित। दिनांक 5/7/17 को रखें।

देखा अनुपालन दिनांक 5/9/17 को रखें।

5/9/17

लिपिक

अभिलेख अनुपालन। देखा अनुपालन। लोपी वकुली हेतु पोलिस किया रखें। दिनांक 9/10/17 को रखें।

28/11/17

लिपिक

31/08/20

अभिलेख उपस्थापित। बैंक द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त। बैंक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि देनदार ... द्वारा 32563.00 (बत्तीस हजार पांच सौ तिरसठ रुपये) दे दिया। अब उनका कुछ किसी प्रकार का बाकी बकाया नहीं है।

अतः बैंक प्रमाण पत्र के आधार पर वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है साथ ही जमानत वापस। अभिलेख को रजिस्टर में दर्ज कर अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं सत्यापित।

नीलाम पत्र पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी रूसी।

नीलाम पत्र पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी रूसी।